भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2363

सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

ई-श्रम पोर्टल का कार्यान्वयन

† 2363. श्री मलैयारासन डी.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु के कल्लाकुरिची लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देशभर में ई-श्रम पोर्टल की विशेषताओं और कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और तमिलनाडु के लिए जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ई-श्रम डेटाबेस को पेंशन, बीमा और रोजगार से जुड़े लाभों जैसी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के साथ एकीकृत किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त पोर्टल के आरंभ होने के बाद से पंजीकृत श्रमिकों को वास्तव में संवितरित किए गए लाभों या सहायता की सीमा का ब्यौरा क्या है तथा इसके साथ ही निधि आवंटन और उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डेटा सटीकता, दोहरी प्रविष्टियों, डिजिटल बहिष्करण और श्रमिक जानकारी के आवधिक अद्यतन से संबंधित मुद्दों की पहचान कर ली गई है और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उस पर क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) पोर्टल के माध्यम से जागरुकता बढ़ाने, प्रवासी और ग्रामीण श्रमिकों के नामांकन को बढ़ाने और कल्याणकारी लाभों की अंतिम छोर तक डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा विशेषकर पिछड़े जिलों में किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

सुश्री शोभा कारान्दलाजे

(क) से (च): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) सृजित करने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों का पंजीकरण करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करता है।

जारी...2/-

ईश्रम पोर्टल पर अब तक 31.82 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों को पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है, जिसमें तमिलनाडु में 98,56,483 पंजीकृत और तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में 2,51,117 पंजीकरण शामिल हैं।

तमिलनाडु राज्य में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा और पंजीकृत असंगठित कामगारों का जिला-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्नक-I और II में है।

बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के विज़न के अनुरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम–"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया, जो सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकरण करता है और ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को देखने में उन्हें सक्षम बनाता है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की पंद्रह (15) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, ताकि ई-श्रम कार्डधारकों कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ और पहुंच को बढ़ाया जा सके, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी - जी आरएएम जी), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई - जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ई-श्रम, नौकरी के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयुए) के कन्वर्जेंस पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे ई-श्रम कार्डधारक अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो रहे हैं।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकित असंगठित कामगारों का ब्यौरा संलग्नक-III में है।

ई-श्रम पोर्टल पर, आधार-आधारित ई-केवाईसी के सफल प्रमाणीकरण के बाद ही पंजीकरण किए जाते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि डुप्लिकेट या फर्जी पंजीकरणों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया जाए। इसके अलावा, डेटा की प्रामाणिकता और सटीकता बनाए रखने के लिए नाम, लिंग, जन्म तिथि, स्थायी पता और फोटो जैसे प्रमुख फ़ील्ड सीधे यूआईडीएआई से प्राप्त किए जाते हैं। ये उपाय सामूहिक रूप से पोर्टल की सत्यनिष्ठा की रक्षा करते हैं और किसी भी दुरुपयोग को रोकते हैं।

जारी..3/-

ई-श्रम पहल के तहत पंजीकरण बढ़ाने और पिछड़े जिलों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में असंगठित श्रमिकों को व्यापक रूप से शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक व्यापक कार्यनीति अपनाई है। वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्व-पंजीकरण को सक्षम करने के अलावा, श्रमिकों की आसान पहुंच को सुगम बनाने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों, राज्य सेवा केंद्रों और उमंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायक पंजीकरण मोड शुरू किए गए हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पंजीकरण अभियानों, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों और स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए संचार प्रयासों से युक्त लक्षित जागरूकता अभियान चला रहा है। आउटरीच को और मजबूत करने के लिए, मंत्रालय वीडियो, ट्यूटोरियल और अन्य जानकारीपूर्ण सामग्री प्रसारित करने हेतु सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग करता है, जिससे इस पहल को अधिक सुलभ और आकर्षक बनाया जा सके।

संलग्नक-I

"ई-श्रम पोर्टल का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री मलैयारासन डी. द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2363 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

दिनांक 28.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रों-वार ब्यौरा:

क्र.सं	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	पंजीकरण की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	2,21,141
2	छत्तीसगढ़	86,70,997
3	कर्नाटक	1,11,41,034
4	मणिपुर	4,76,750
5	तमिलनाडु	98,54,089
6	असम	78,89,667
7	तेलंगाना	47,14,474
8	पश्चिम बंगाल	2,67,23,245
9	नागालैंड	2,48,891
10	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	76,526
11	केरल	61,52,531
12	मिजोरम	73,848
13	गुजरात	1,26,51,843
14	सिक्किम	51,556
15	जम्मू और कश्मीर	36,66,565
16	लक्षद्वीप	2,879
17	मध्य प्रदेश	1,95,55,382
18	पंजाब	60,36,977
19	चंडीगढ़	1,92,537
20	गोवा	91,007
21	उत्तराखंड	31,26,602
22	लद्दाख	36,497
23	उत्तर प्रदेश	8,46,53,911
24	पुदुचेरी	2,00,415
25	त्रिपुरा	9,08,124
26	महाराष्ट्र	1,87,03,297
27	हिमाचल प्रदेश	20,33,326
28	राजस्थान	1,55,40,837
29	मेघालय	3,77,327
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	36,101

31	आंध्र प्रदेश	88,85,761
32	ओडिशा	1,37,72,362
33	हरियाणा	54,46,538
34	दिल्ली	36,79,017
35	बिहार	3,24,92,375
36	झारखंड	98,73,707

संलग्नक-II

"ई-श्रम पोर्टल का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री मलैयारासन डी. द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2363 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

दिनांक 28.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का जिला-वार ब्यौरा:

क्र.सं.	जिला	पंजीकरण की संख्या
1.	कोयंबटूर	2,71,958
2.	रानीपेट	1,57,708
3.	नीलगिरी	63,855
4.	तिरुचिरापल्ली	3,89,961
5.	पुदुक्कोट्टई	3,51,585
6.	चेंगलपट्टू	2,08,296
7.	कृष्णागिरी	3,08,132
8.	तिरुवल्लुर	3,23,746
9.	डिंडीगुल	2,29,444
10.	वेल्लोर	1,41,670
11.	कुड्डालोर	5,37,394
12.	चेन्नई	2,36,987
13.	थेनी	1,93,487
14.	शिवगंगा	2,60,152
15.	माइलादुत्रयी	2,12,877
16.	तिरुपूर	2,62,771
17.	पेरम्बलूर	1,68,566
18.	कांचीपुरम	1,44,750
19.	मदुरै	3,85,905
20.	विलुप्पुरम	3,87,166
21.	तिरुपथुर	1,45,445
22.	करूर	1,45,023
23.	रामनाथपुरम	3,08,318
24.	नमक्कल	1,65,124
25.	अरियालूर	1,91,101
26.	इरोड	1,78,801
27.	तिरुवन्नामलाई	4,46,539
28.	कन्नियाकुमारी	2,82,233
29.	तिरुनेलवेली	1,86,585
30.	धर्मपुरी	2,18,177

31.	तंजावुर	4,90,384
32.	कल्लाकुरिची	2,51,117
33.	थिरुवरुर	2,83,965
34.	थूथुकुडी	2,41,105
35.	तेनकासी	1,63,265
36.	नागपट्टिनम	1,93,016
37.	विरुधुनगर	3,50,324
38.	सलेम	3,77,157

संलग्नक-III

"ई-श्रम पोर्टल का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री मलैयारासन डी. द्वारा दिनांक 03.08.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2363 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

दिनांक 28.07.2026 तक की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत नामांकित असंगठित कामगारों का ब्यौरा:

योजना	**नामांकन**
वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)	24,48,73,025
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि)	32,68,728
विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीआरएएमजी)	6,20,69,999
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	98,42,205
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	1,68,232
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)	11,76,016
प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू)	24,96,070
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)	23,979
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)	2,25,52,084
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)	8,53,78,568
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)	15,10,06,017
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम- किसान)	3,96,39,896
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	32,08,135
